(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

दं0प्र0सं0 की धारा 154 के अन्तर्गत

1. जिला : **पंचकूला,** थाना : **राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला**, वर्ष : **2016**, प्र0सु0रि0स0 : **01**

   दिनांक : 2**9.03.2016**

2. धारा **7 पी0सी0 एक्ट, 1988**

3. (क) अपराध की घटना : **29.03.2016**

   (ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : **दिनांक 29.03.2016 समय 3:30 पी0एम0।**

   (ग) रोजनामचा रिपोर्ट क्रम संख्या : **7**

4. सूचना का प्रकार : **लिखित।**

5. घटनास्थल : (क) थाना से दिशा एंव दूरी :**पूर्व–दक्षिण दिशा में यमुनानगर करीब 110 कि0मी0।**

6. शिकायतकर्ता/सूचनादाता :

   नाम : **भीम सैन उर्फ सोनू**

   पिता का नाम : **श्री राम किशन**

   राष्ट्रीयता : **भारतीय।**

   व्यवसाय :**विद्यार्थी**

   पता :**जाति चमार गांव रावां थाना शाहबाद (मा0) जिला कुरूक्षेत्र मोबाईल नं0 94163–19282**

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण : **शमशेर सिंह पुलिस कर्मी महिला थाना यमुनानगर**

8. लिंग : **पुरूष**

   भाषा : **हिन्दी।**

9. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण : **कोई नहीं।**

प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण :– सेवा में, ईन्सपैक्टर विजिलैंस यमुनानगर श्री मान् जी निवेदन है कि मैं भीम सैन उर्फ सोनू s/o श्री राम किशन जाति चमार से सम्बन्धित हूॅ तथा गांव रावा थाना शाहबाद मा0 जिला कुरूक्षेत्र का रहने वाला हूॅ तथा कम्पीटीशन की तैयारी कर रहा हूॅ मेरे विरूद्व एक शिकायत सुमन D/O सेवा राम ने महिला थाना यमुनानगर मे करीब 10 दिन पहले की थी जिस पर दिनांक 21–3–16 को हमारा दोनो पक्षों का समझौता हो गया था और हम दोनो पक्षों ने लिखित समझौता थाना में शमशेर सिंह नामक पुलिस कर्मी को दे दिया था समझौते के समय वार्ड पंचायत के लोग मौजूद थे जिनमें से एक श्री हुक्म चन्द S/O श्री मामराज जाति चमार गांव गडी बंजारा का रहने वाला भी था। इस मेरे रिश्तेदार के फोन नं0 8053933548 पर थाना का कर्मचारी शमशेर सिंह अपने मोबाईल नं0 9466720168 से बार –बार फोन कर रहा है कि दस हजार रूपये रिश्वत मुझे (भीम सैन उर्फ सोनू) देनी पडेगी नही तो तुम्हारा समझौता नही मानूॅगा इस कर्मचारी ने 22/3/16 को मेरे फोन नं0 9416319282 पर भी फोन करके रिश्वत की मांग की थी, मैं रिश्वत नही देना चाहता परन्तु उक्त शमशेर सिंह मुझे रिश्वत देने के लिये मजबुर कर रहा है।मै इसे रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूॅ। कानूनी कार्यवाही की जाऐ।आपकी अति कृपा होगी।दिनांक 29–03–2016 प्रार्थी हस्ता : ईगलिश भीम सैन s/o श्री राम किशन गांव रावां उर्फ सोनू थाना शाहबाद(मा0)जिला कुरूक्षेत्र मोबाईल नं0 94163–19282 कार्यवाही पुलिस :–इस समय मन नि0 हाजिर दफतर है,श्री भीम सैन उर्फ सोनू s/o श्री राम किशन गांव रावा थाना शाहबाद जिला कुरूक्षेत्र ने हाजिर युनिट आकर उपरोक्त दरखास्त पेश की , जो दरखास्त से सरे दस्त जुर्म 7 P C Act का सरजद होना पाया जाता है जिस पर तहरीर हजा बराये कायमी मकदमा बदस्त सि0 शीश कुमार 408/Amb के अरसाल थाना है बाद कायमी मुकदमा पर्चा नम्बर से सूचित किया जावे और सपेशल रिपोर्ट मुकदमा हजा बजरिया स्पेशल मैसेन्जर ईलाका मैजिस्ट्रेट व अफसरान बाला को भिजवाई जावें, मन निरीक्षक मय ASI रघवीर सिंह 108/A , Hc मशरूफ अली 206/Amb, Ehc प्रमीत कुमार 774/Amb, Ct नीरज 953/Ynr , बा स्वारी गाढी सरकारी नं0 HR-68-8130 , जिसका चालक Ehc सतीश कुमार नं0261/ KKR है मय मुदई के बराये करने पूरी औपचारिकताएं रेड , रवाना उपायुक्त कार्यलय यमुनानगर का होता हूॅ, रेडिंग किट , तफतीशी बैग हमरा लिया गया , हालात अफसरान बाला को सूचित किये गये। अज –SVB YNR हस्ता :– (हिन्दी) सतनारायण INSPECTOR 29/03/16 (मोहर) State Vigilance Bureau Sub- Unit.Distt.Yamuna Nagar Time 12:15 Pm अज थाना : उपरोक्त लेख पर अभियोग अंकित करके स्पैशल रिपोर्ट

ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब जगाधरी की सेवा में व असल तहरीर मय नकल मिसल पुलिस बर मौका बदस्त आरिन्दा सिपाही शीश कुमार नं0 408/अम्बाला के भिजावाई जा रही है व नकुलात प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां उच्च अधिकारियों की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाऍगी।

अनुसंधान अधिकारी :–**निरीक्षक सतनारायण राज्य चौकसी ब्यूरों, उप केन्द्र यमुनानगर।**

ईलाका मैजीस्ट्रेट :– **जगाधरी**

बदस्त सिपाही शीश कुमार नं0 408 /अम्बाला

–हस्ता–
निरीक्षक, (राजेश कुमार न0 A/11),
थाना राज्य चौकसी ब्यूरों,
सैक्टर 17 पंचकुला।